न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 15/2021 राजस्व अपील

1. मेवाराम पुत्र रामपाल जाति माली निवासी मोहचिंगपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 24.08.2018 उप तहसीलदार बहरावण्डा उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मेवाराम मुकदमा नम्बर 139/2018 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम)

उपस्थिति : श्री अशोक जोशी, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :–

दिनांकः 29.04.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा ने अपीलान्ट की विधिवत तामील हुये बिना एवं अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट की अनुपस्थिति में इकतरफा निर्णय दिनांक 24.08.2018 पारित कर अपीलान्ट को 90 दिवस के कारावास व पेनल्टी से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 24.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून नियम उपनियम व पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य व सुनवाई का मौका भी नहीं दिया। पीडित पक्ष को सुनवाई का मौका देने के बाद ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये। पत्रावली पर अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत नहीं होते हुये भी अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलान्ट को 90 दिन के सिविल कारावास की सजा व विवादित आराजी से बेदखल कर लगान के 50 गुणा शास्ति आरोपित की है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का मौका भी नहीं मिला है। अपीलान्ट की ओर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अपीलान्ट ने ग्राम मोहचिंगपुरा तहसील बहरावण्डा स्थित भूमि खसरा नम्बर 187 ग्राम मोहचिंगपुरा पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है तथा अपीलान्ट शपथकर्ता भविष्य में भी उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं करेगा। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट ने ग्राम मोहचिंगपुरा तहसील बहरावण्डा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 187 रकबा 0.12 है. पर बाजरे की काश्त कर एवं 0.40 है. पर पडत जोत कर कुल 0.52 है. पर अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही कर अपीलान्ट को 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा, पेनल्टी व बेदखली से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम मोहचिंगपुरा तहसील बहरावण्डा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 187 रकबा 0.52 है. पर अतिक्रमण किया जाना व्यक्त करने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। किन्तु अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं किये जाने का अनुरोध करने पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस आशय के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम मोहचिंगपुरा तहसील बहरावण्डा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 187 रकबा 0.52 है. पर अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं होने एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बाबत् प्रस्तुत शपथ पत्र तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.08.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा स्थिति में सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 24.08.2018 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.05.07 19:23:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा